न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

निगरानी संख्या : 29/2010
RCMS Case No. 2010/00036

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
गणपतलाल पुत्र श्रीराम जाति माली निवासी बर तहसील रायपुर		1 ओमप्रकाश पुत्र श्रीराम 2 चम्पालाल उर्फ पप्पुराम पुत्र श्रीराम 3 त्रिलोकचन्द उर्फ मुन्ना पुत्र श्रीराम जातिगण माली निवासी बेरा भैरूसागर, बर 4 ग्राम पंचायत बर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बर, तहसील रायपुर 5 सहायक खनिज अभियन्ता, खनिज विभाग, सोजत सिटी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–: आदेश :–

दिनांक 29.11.2018

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1997 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत बर द्वारा मिसल संख्या 4ए/1986 में पारित आज्ञा क्रमांक 8 दिनांक 02.08.1986 एवं उसकी पालना में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता श्रीराम के नाम जारी पट्टा संख्या 151 दिनांक 29.09.1986 को अपास्त कराने का निवेदन किया। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया। प्रकरण में अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे हैं। अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण की हद तक गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत नियमों की पालना किए बिना ही जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जैर निगरानी विवादित आराजी खान की भूमि है, आबादी भूमि ही नहीं है। इस कारण ग्राम

अति० जिला कलेक्टर, पाली

पंचायत को उक्त भूमि का पट्टा जारी करने की अधिकारिता ही नहीं है। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा आरम्भ से ही शून्य प्रभावी हैं। ग्राम पंचायत द्वारा विवादित आराजी की मौका जांच ही नहीं की एवं न ही नियुक्त पंचों द्वारा मौके पर जाकर किसी प्रकार की जांच आदि की। मौके की भौतिक स्थिति के निरीक्षण एवं परीक्षण किए बिना ही जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है। भूमि मौके पर खान के रूप में उपलब्ध है, जिसमें मौके पर बड़े बड़े खड्डे है, जिसमें से खनिज सम्पदा निकाली जाती है। उक्त भूमि खनन सम्बन्धित भूमि है, जिसके सम्बन्ध में घेवरराम पुत्र प्रतापजी जाति कलाल निवासी बर द्वारा अप्रार्थी व जिलाधीश पाली के विरूद्ध एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया, जिसमें भी प्रार्थी पक्षकार था, जो दिवानी विविध संख्या 31/1996 सिविल न्यायालय (क0ख0) बर द्वारा दिनांक 26.05.1998 को निर्णित किया है। उक्त प्रकरण में सहायक अभियन्ता खनिज विभाग द्वारा जैर निगरानी विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर खनन की भूमि बताई है। उक्त भूमि का आधिपत्य प्रार्थी के अधीन था एवं वर्तमान में भी उक्त भूमि प्रार्थी के स्वामित्व में है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पिता श्रीराम माली से मिलावट कर एवं खनिज सम्पदा की सम्पति को हड़पने की नियत से एवं प्रार्थी की कब्जासुदा भूमि पर पट्टा प्राप्त करने की नियत से पंचायत में पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया एवं ग्राम पंचायत में पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया एवं ग्राम पंचायत की जानकारी में यह भी प्रकट हुआ कि जैर निगरानी मिसल की भूमि आबादी की भूमि न होकर खनिज विभाग की भूमि है, जिस पर पट्टा जारी करने का पंचायत को अधिकार ही नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पालना किए बिना ही जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के पिता श्रीराम पुत्र मलाराम जाति माली निवासी बर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी कब्जा सुदा प्लॉट का पट्टा बनाने का निवेदन किया। उक्त भूमि के जो पडौस अंकित किए, वे इस प्रकार है कि पूर्व में आबादी भाखर, पश्चिम में आबादी भूमि, उत्तर में रास्ता एवं दक्षिण में स्वयं की खान। उक्त पडौस में मध्य स्थित भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 19.05.1986 को आदेश पारित करते हुए नक्शा तैयार करने एवं तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में जो नक्शा तैयार किया गया, उस नक्शे के पडौस एवं आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दर्शाए पडौस में भिन्नता है। नक्शा मौका एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियम 266 के

अति० जिला कलेक्टर, पाली

तहत पट्टा जारी करने का अन्तरिम विनिश्चिय करते हुए एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 31.05.1986 को आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। उक्त आपत्ति इश्तिहार में जो पडौस अंकित है, वे पडौस भी आवेदन पत्र में वर्णित पडौस से भिन्न है। इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 26.06.1986 को कोरम के समक्ष प्रस्तुत होने पर आवेदक को अपने कब्जे के समर्थन में दो गवाहों के बयान कलमबद्ध कराने के आदेश दिये गए। इसके पश्चात दिनांक 02.08.1986 को गवाहों के बयान कलमबद्ध करने के पश्चात आपसी बातचीत से आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी करने हेतु जैर निगरानी आज्ञा पारित की गई। गवाहों ने अपने बयानों में भूमि की जो प्रस्थिति बताई है, वह मौके पर खान के रूप में अवस्थित होना बताया। नियमों के तहत पंचायत को आबादी भूमि विक्रय/विनियमितिकरण के ही प्रावधान है। खान की भूमि आबादी भूमि में परिभाषित नहीं होती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह पंचायत के अधिकार क्षैत्र से परे था। तद्नुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा नियमों के विरूद्ध प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत बर द्वारा मिसल संख्या 4ए/1986 में पारित आज्ञा क्रमांक 8 दिनांक 02.08.1986 एवं उसकी पालना में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता श्रीराम के नाम जारी पट्टा संख्या 151 दिनांक 29.09.1986 को अपास्त किया जाता है। चूंकि प्रकरण में वर्णित भूमि को खान की भूमि होना बताया है। अतः इस सम्बन्ध में तहसीलदार रायपुर को आदेश दिये जाते है कि वे प्रकरण में वर्णित भूमि की राजस्व रेकर्ड के अनुसार जांच कर भूमि का कब्जा बहक सरकार लिये जाने की कार्यवाही करें एवं खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सोजत को निर्देश दिये जाते है कि यदि उक्त भूमि के समीप विधि विरूद्ध रूप से खनन कार्य किया जा रहा हो, तो उसे बन्द करवाते हुए अवैद्य खनन के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही से इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

आदेश आज दिनांक 29.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली